



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04072022-237047
CG-DL-E-04072022-237047

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2896]
No. 2896]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 4, 2022/आषाढ़ 13, 1944
NEW DELHI, MONDAY, JULY 4, 2022/ASHADHA 13, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2022

(आयकर)

का.आ. 3044(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना में, संख्या का.आ. 2692 (अ), जिसे दिनांक 10 जून, 2022 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, की अनुसूची में:-

- (I) क्रम संख्या 3 में, कॉलम संख्या (2) में, “प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, तमिलनाडु (चेन्नई)” के स्थान पर “प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, तमिलनाडु और पुडुचेरी (चेन्नई)” पढ़ा जाए;
- (II) क्रम संख्या 15 में, कॉलम संख्या (4) और कॉलम संख्या (5) में, मद (ii) में, “(तकनीकी एकक)-2, कोलकाता” के स्थान पर “(तकनीकी एकक)-1, कोलकाता” पढ़ा जाए;
- (III) क्रम संख्या 15 में, कॉलम संख्या (4) और कॉलम संख्या (5) में, मद (iii) में, “(तकनीकी एकक)-3, मुम्बई” के स्थान पर “(तकनीकी एकक)-1, मुम्बई” पढ़ा जाए;
- (IV) क्रम संख्या 15 में, कॉलम संख्या (4) और कॉलम संख्या (5) में, मद (iv) में, “(तकनीकी एकक)-4, चेन्नई” के स्थान पर “(तकनीकी एकक)-1, चेन्नई” पढ़ा जाए;

- (V) हिन्दी संस्करण में, कॉलम संख्या (4) में, “प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त” के स्थान पर “प्रधान आयकर आयुक्त” पढ़ा जाए;

[अधिसूचना सं. 78/2022/फा. सं. 187/3/2020-आईटीए-1]

विकास सिंह, निदेशक